

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 12111/22/वि-9/आरजीएम/97

भोपाल दिनांक

30 जुलाई, 1997

आदेश क्रमांक-13

तकनीकी परिपत्रा : चार/97-98/जलग्रहण क्षेत्रा विकास

प्रति,

1. अध्यक्ष (समस्त)  
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, (समस्त)  
मध्यप्रदेश
3. कार्यपालक निदेशक (समस्त)  
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)  
जनपद पंचायत,
5. परियोजना अधिकारी, (समस्त)  
मिली जलग्रहण क्षेत्रा

**विषय :-राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में तकनीकी दिशा-निर्देश।**

जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी प्रवृत्ति के कार्यों को सम्पादित करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन हेतु यह पहला परिपत्रा है। इस परिपत्रा में दिये गये निर्देश सुझावात्मक हैं तथा सीनीय परिस्थितियों के अनुरूप इसमें फेर बदल संभव हैं। कृपया इस परिपत्रा को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी मिलीवाटरशेड, जनपद पंचायत कार्यालय तथा जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

1.0 पृष्ठीमि :-

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अंतर्गत चयनित माइक्रोवाटरशेड में चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण, कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। सामुदायिक भूमि, जो वन, राजस्व अथवा पंचायत भूमि हो सकती हैं, में चारागाह विकास एवं वनीकरण की काफी संभावनाएं हैं। चारागाह एवं वृक्षारोपण जहाँ एक तरफ जल एवं मृदा संरक्षण हेतु उपयोगी हैं, वहीं दूसरी तरफ चारा एवं ईंधन की आपूर्ति में भी सहायक होते हैं।

1.1 राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अंतर्गत स्वावलंबन दलों के माध्यम से पौधशाला तैयारी के संबंध में आदेश क्र.-9 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। कृपया उक्त आदेश का पुनः भली-भांति अध्ययन कर लें।

1.2 सामुदायिक भूमि में चारागाह विकास एवं वनीकरण हेतु ये दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि ये निर्देश सुझावात्मक हैं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनमें फेर बदल संभव है।

2.0 क्षेत्रा चयन एवं क्षेत्रा तैयारी :-

चारागाह एवं वृक्षारोपण हेतु सर्वप्रथम क्षेत्रा का चयन किया जाना चाहिए। वन भूमि जिसमें वन का घनत्व 0.4 से कम हो तथा बिगड़े वन की श्रेणी में आता हो, राजस्व पड़त भूमि अथवा छोटे झाड़ का जंगल या पंचायत भूमि इस हेतु उपयुक्त हो सकती है।

2.1 माइक्रोवाटरशेड वार कितने क्षेत्राफल में चारागाह विकास का कार्य किया जा सकता है, अथवा कितने क्षेत्रा में चारा एवं जलारु प्रजाति के वृक्षों का रोपण करना संभव है, इसका निर्धारण पी.आर.ए. एक्सरसाइज के उपरांत कर लिया जाना चाहिये।

2.2 चारे की आवश्यकता का माइक्रोवाटरशेड वार आंकलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु सर्वप्रथम पशुओं की संख्या के आधार पर चारे की आवश्यकता का आंकलन करना चाहिये। वर्तमान में कितनी मात्रा में चारा हरा चारा, कृषि उत्पाद, चारा प्रजाति के वृक्षों की पत्तियों के रूप में अथवा सूखे चारे के रूप में प्राप्त हो रहा है, तथा कितने मवेशी खुली चराई करते हैं, इसका भी आंकलन करना चाहिये। वर्तमान आवश्यकता एवं पूर्ति में जो अंतर है, कम से कम उतनी मात्रा हेतु चारागाह विकास का कार्य लिया जाना चाहिये। इससे ज्यादा होने पर यह ग्रामीणों की आय का साधन भी बन सकता है।

2.2.1 हरे एवं सूखे चारे की आवश्यकता की गणना हेतु विभिन्न प्रकार के फार्मूले उपलब्ध हैं, जिनसे मवेशियों के वर्ग के आधार पर प्रतिदिन लगने वाले चारे की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। सामान्यतः मवेशी को अपने वनज के 2 से 3 प्रतिशत तक चारे की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। कुछ वर्ग के मवेशियों हेतु चारे की आवश्यकता निम्नानुसार है :-

क्र.	मवेशी वर्ग	आवश्यक चारा प्रतिदिन (कि.ग्रा. प्रति मवेशी)	
		सूखा	हरा
1.	मवेशी अथवा भैस जो कृषि कार्य में लगे हों तथा दूध देने वाले।	8.00	16.00
2.	बैल, जो कार्य न करते हो तथा गाय (दूध देने वाली) अथवा भैस जो दूध न देती हो।	7.00	14.00
3.	अनुपयोगी गाय	5.00	10.00
4.	1-3 वर्ष के मवेशी	3.00	3.00
5.	1 वर्ष से कम उम्र के मवेशी बकरी एवं भेड़ उस वर्ग के	1.00	1.00

बकरी एवं भेड़ उस वर्ग के 0.25 मवेशी यूनिट के बराबर होती है। अतः बकरी एवं भेड़ हेतु चारे की आवश्यकता तालिका के क्र. 2,3,4 अथवा 5 के 0.25 गुणा के अनुसार होगी।

2.2.2 माइक्रोवाटरशेड वार चारे की आपूर्ति की गणना भी किया जाना आवश्यक है। सामान्यतः कृषि उपज की अवशेष, कृषि भूमि पर उगाई जाने वाली हरे चारे, गन्ने की फसल का ऊपरी हिस्सा, कृषि भूमि पर घास खरपतवार, वन भूमि से प्राप्त घास एवं पत्तियों के रूप में प्राप्त चारे ही वर्तमान आपूर्ति के स्रोतों हैं। इसके अलावा मवेशियों की खुली चराई से भी चारा प्राप्त होता है। इसकी वास्तविक मात्रा ज्ञात करना कठिन जरूर प्रतीत होता है, किन्तु पी.आर.ए. एक्सरसाइज के दौरान आंकड़े एकत्रित किये जा सकते हैं।

2.2.3 आवश्यकता एवं आपूर्ति के अंतर हेतु अतिरिक्त रूप से कितने क्षेत्राफल भूमि पर चारागाह का विकास किया जा सकता है, इसकी गणना प्रति हेक्टेयर भूमि पर प्राप्त होने वाली चारे की मात्रा से ज्ञात की जा सकती है। अलग-अलग क्षेत्रा में प्रति हेक्टेयर उत्पादन पृथक हो सकता है। सूखे चारे का उत्पादन सामान्यतः 3 टन प्रति

हेक्टेयर प्रति वर्ष वन क्षेत्रों में तथा 1.5 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अन्य बंजर भूमि अथवा चारागाह क्षेत्रों में होता है।

- 2.2.4 जिस क्षेत्रा में चारागाह का विकास किया जाना है, उसके पूर्व क्षेत्रा तैयारी का कार्य पूरा कर लिया जावे। ऊपरी क्षेत्रा में जहाँ ढालदार भूमि हो, वहाँ चारागाह विकास को रिजलाइन ट्रीटमेंट के साथ-साथ जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों के अभियांत्रिकीय उपायों को वानस्पतीय उपायों, टमहमजंजपअम उमंनतमेद्ध के साथ जोड़ना, प्दजमहतंजमद्ध चाहिये।

### 3.0 प्रजातियों का चयन :-

चारागाह हेतु लिये जाने वाले क्षेत्रा के निर्धारण के पश्चात, प्रजातियों का चयन तथा अच्छी किस्त के कौन-कौन सी प्रजातियों को क्षेत्रा में लगाया जा सकता है, इसकी कार्य योजना तैयार कर लेनी चाहिये।

- 3.1 खुली चराई से एकदम ही स्आल फीडिंग हेतु ग्रामीणों को तैयार करना प्रारंभ में कठिन हो सकता है। अतः इस हेतु सम्पूर्ण क्षेत्रा की चराई से प्रतिबंधित करने के बजाय क्षेत्रा के एक भाग को चारागाह के विकास हेतु लिया जाना उपयुक्त होगा। शेष क्षेत्रा में परम्परागत तरीके से खुली चराई जारी रखने के साथ चराई हेतु बेहतर प्रबंधन का तरीका अपनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत चक्रीय चराई, त्वजंजपवदं हतंपदहद्ध को बढ़ावा देना चाहिये। इस प्रणाली में कुछ क्षेत्रा को निश्चित समय हेतु चराई के लिये खुला छोड़कर, शेष क्षेत्रा में प्राकृतिक घास को बढ़ने का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय उपरांत शेष क्षेत्रा में से कुछ भाग को चराई हेतु छोड़कर, पहले भाग में चराई प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसी व्यवस्था से जहाँ घास के उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकेगी, वहाँ अच्छी गुणवत्ता की घास भी पैदा हो सकेगी।

- 3.2 वन अथवा राजस्व पड़त भूमि को चराई से सुरक्षित रखने मात्रा से भी प्राकृतिक रूप से पायी जाने वाली घास की पैदावार अच्छी हो जाती है। इससे न केवल घास की मात्रा में वृद्धि होती है, वरन अच्छी गुणवत्ता की घास भी पनपने लगती है। इसके अतिरिक्त भी क्षेत्रा में अच्छी गुणवत्ता की घास लगाई जा सकती है। इन घासों की प्रजातियां मिट्टी तथा जलवायु पर निर्भर करती है। कुछ विशेष प्रजातियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

- 3.2.1 स्आइलो हमाटा जलसवेंतजीमे र्िंजंद्ध :- यह घास अर्ध शुष्क मउपंतपकद्ध क्षेत्रा में यह लगाई जा सकती है। यह काली मिट्टी से लेकर लाल मुरम मिट्टी तक के क्षेत्रा में जहां मिट्टी की उर्वरता कम है, लगाई जा सकती है। कम औसत वर्षा (450-750 मि. मी.) वाले क्षेत्रा में 4-5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तथा 800 मि.मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रा में 5 से 6.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तक सीधे बीज बुआई, क्पतमबजंममकं वूपदहद्ध से इसे क्षेत्रा में लगाया जा सकता है। कंटूर ट्रेच से प्राप्त मिट्टी को 1 मी. की चौड़ाई में फेलाकर अथवा 10 मी. ग 1 मी. ग 0.1 मी. के घास बेड तैयार कर अथवा क्षेत्रा में हल्की जुताई कर बीज बोने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बुआई हेतु बीज को 10 गुना ज्यादा मात्रा की गीली मिट्टी के साथ मिलाकर मानसून के तत्काल पहले, 7.10 दिन पहले) छिड़काव द्वारा तीन-चार लाइनों में 1 से.मी. की गहराई में इसकी बुआई की जा सकती है। लगभग 80 प्रतिशत तक बीज का अंकुरण 2 सप्ताह में हो जाता है। द्वितीय वर्ष से यह स्वयं ही अन्य क्षेत्रा में भी फेल जाती है।

- 3.2.2 दीनानाथ म्ददपेमजनउ च्मकपबमससमजनउद्ध :- यह घास प्रायः शुष्क क्षेत्रा में उगाई जाती है। सबसे अच्छी उपज दोमट मिट्टी में होती है, किन्तु कम उपजाऊ मिट्टी में भी यह उगाई जा सकती है। बीज बुआई का समय मानसून के तत्काल पहले का है। स्टायलों हमाटा की तरह छिड़काव द्वारा अथवा लाइन में इसकी बुआई की जा सकती है।

- 3.2.3 अंजन घास म्ददबीतने बपसपंतपेद्ध :- यह घास शुष्क तपकद्ध एवं अर्ध शुष्क मउपंतपकद्ध क्षेत्रा में जहां वर्षा काफी कम होती है लगायी जा सकती है। यह घास 250 से 1000

मि.मी. औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में हो सकती है। शुष्क क्षेत्रों में रेतीली से पथरीली मिट्टी वाले क्षेत्र तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रेतीली से दोमट मिट्टी में भी यह सफलता पूर्वक लगायी जा सकती है। 3 से 8 महीने पुरानी घास के बीज को स्टायली हमाटा की तरह ही छिड़काव अथवा लाइन में बुआई किया जाना चाहिये। बुआई मानसून प्रारंभ होते ही कर दी जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 2 से 2.5 कि.ग्रा. तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 3 से 5 कि.ग्रा. बी प्रति हेक्टेयर की बुआई उपयुक्त होती है। बीज को 3 से 4 गुणा मात्रा की गीली रेत के साथ मिलाकर बुआई की जाना चाहिये। इसे माखेल घास, क्वबंदजीपनउ ददनसंजनउद्ध के बीज के साथ मिश्रण कर भी बोया जा सकता है। इस तरह विकसित किये गये चारागाह में प्रथम दो वर्षों तक चराई प्रतिबंधित रखना चाहिये।

3.2.4 काला धामन, अमदबीतनेमजपहमतनेद्ध :- अंजन घास की तरह ही काला धामन घास भी विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्षारीय मिट्टी तथा जल मग्न, जमत सवहहमकद्ध क्षेत्रों हेतु यह उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में मानसून प्रारंभ होते ही बुआई करनी चाहिये। शुष्क क्षेत्रों में 4 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तथा आद्र क्षेत्रों में 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर बीज की बुआई उपयुक्त होती है।

3.2.5 क्रायसोपोगोन फलवस, वैतलेवचवहवद निसअनेद्ध रू यह घास 250 से 850 मि.मी. वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है। दोमट तथा जल निकासी, मसस क्तंपदमकैवपसद्ध वाली मिट्टी इस हेतु उपयुक्त होती है।

3.2.6 इन घासों के अलावा सेहिमा नरवोसम, मीपउं छमतअवेनउद्धए माखेल घास, क्वबंदजीनउ ददनसंजनउद्ध इत्यादि भी लगायी जा सकती है।

3.3 ऊपर वर्णित घासों के संबंध में और विस्तार से जानकारी निम्न संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है।

1. भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी
2. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
3. राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान करनाल
4. राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, हैदराबाद
5. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

3.4 स्टायलो हमाटा तथा दीनानाथ को छोड़कर शेष घास प्राकृतिक रूप से पायी जाती है, जिनके बीज अक्टूबर, नवम्बर माह में स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, राज्य वन विकास निगम के वन मंडल, भारतीय चारागाह एवं अन्य संस्थानों में भी इनके बीज उपलब्ध हैं। इस हेतु जिले के वन मंडल अधिकारी से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत जिन जिलों में चारागाह विकास का कार्य किया गया है, वहां से घास बीज की उपलब्धि संभव है।

4.0 ईधन एवं चारागाह विकास :- चारागाह विकास का कार्य सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ मिट्टी की गहराई ज्यादा न हो, तथा जो भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न हो। जहाँ मिट्टी की गहराई अधिक हो, तथा भूमि वृक्षारोपण हेतु भी उपयुक्त हो वहाँ चारागाह विकास के साथ-साथ जलाऊ प्रजातियों का वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। इस हेतु लगभग 300 से 500 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाये जा सकते हैं।

4.1 क्षेत्रा तैयारी :- ईधन एवं चारागाह विकास हेतु क्षेत्रा तैयारी का कार्य, चारागाह विकास की तरह ही किया जाता है। मवेशियों से सुरक्षा हेतु पशु अवरोधक खेती की बजाय सोशल फेंसिंग को अपनाया जावे। जल एवं मृदा संरक्षण हेतु कंटूर ट्रेंच अथवा कंटूर बंड का निर्माण किया जा सकता है। घास बीज बुआई हेतु घास बेड 10 मी. ग 1 मी. ग 0.1 मी. के तैयार कर लिये जावे। पौध रोपण हेतु कंटूर ट्रेंच के नीचे की तरफ में, जहाँ मिट्टी की गहराई अच्छी हो, 45

से.मी. ग 45 से.मी. के गडढे खोदे जा सकते हैं। पौधों के बीच का अंतराल कम से कम 2 मी. ग 3 मी. होना चाहिये। जहाँ 45 से.मी. ग 45 से.मी. के कंटूर ट्रेंच खोदे गये हों, वहाँ उन्हीं ट्रेंच के भीतर अथवा ऊपर की तरफ निकली मिट्टी के बंड में भी पौधे लगाये जा सकते हैं। क्षेत्रा तैयारी का कार्य अप्रैल-मई माह से पहले ही पूर्ण करा लेना चाहिये।

4.2 वृक्षारोपण :- क्षेत्रा हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर नर्सरी में तैयार पौधों का वृक्षारोपण मानसून प्रारंभ होते ही कर दिया जाना चाहिये। नर्सरी तैयारी हेतु आदेश क्रमांक-9 में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

4.3 कंटूर ट्रेंच में बीज बुआई :- रिज लाइन ट्रीटमेंट के अंतर्गत वनीकरण के साथ-साथ जल एवं मृदा संरक्षण हेतु कंटूर ट्रेंच का निर्माण भी किया जाता है। कंटूर ट्रेंच के निर्माण के संबंध में तकनीकी निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं। कंटूर ट्रेंच के निर्माण से जो मिट्टी प्राप्त होती है, उसे निचले ढलान की तरफ ट्रेंच से 10-15 से.मी. की दूरी पर कंटूर बंड की तरह लगा दिया जाता है। इस प्राप्त मिट्टी में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

रतनजोत, नीम, प्रोसोपिस, सुबबूल, सफेद खैर, जंगली अरंडी, देशी खैर इत्यादि कुछ प्रजातियों के बीज को निश्चित दूरी पर कंटूर बंड पर बुआई करने से कम व्यय पर वृक्षारोपण संभव हो सकता है। रतन जोत, जंगली अरंडी इत्यादि बीजों एवं फलों का सीनीय बाजारों में अच्छी कीमत भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रजातियों के बारे में संक्षिप्त विवरण भी पृथक से जारी किया जा रहा है।

5.0 चारे हेतु दलों का गठन एवं वितरण :-

चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण का कार्य जो सामुदायिक भूमि में किया जाता है हेतु उपयोगकर्ता दल का गठन भी आवश्यक है। चारागाह विकास से प्राप्त चारे का वितरण उपयोगकर्ता दल के सदस्यों को समान रूप से हो, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये। चारे के समान वितरण की व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार के मॉडल हो सकते हैं जिसमें क्षेत्रा या समय के आधार पर घास काटकर दलों के सदस्यों द्वारा समान रूप से उपयोग किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(आर.परशुराम)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. क्र. 6206/22/वि-9/आरजीएम/96

भोपाल दिनांक

30

जुलाई, 1996

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
2. निज सहायक, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
5. विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग/आदिम जाति, अनु.जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ योजना विभाग / योजना विभाग/ विज्ञान एवं टेक्नालॉजी विभाग, भोपाल।

7. सचिव, म.प्र. शासन, कृषि विभाग / सहकारिता विभाग / ग्रामोद्योग विभाग / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग / वन विभाग / जल संसाधन विभाग, भोपाल।
8. मिशन कोआर्डिनेटर, राजीव गांधी मिशन (सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र.) भोपाल।
9. संचालक, राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिशन, भोपाल।
10. संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल।
11. संचालक, राजीव गांधी घेंगा डायरिया उन्मूलन मिशन, भोपाल।
12. संचालक, राजीव गांधी मत्स्य पालन विकास मिशन, भोपाल।
13. संचालक, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी मिशन, भोपाल।
14. संभागीय आयुक्त (समस्त) म.प्र.।
15. संचालक, कृषि, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुडा भवन, भोपाल।
18. महानिदेशक, सुदूर संवेदन उपयोगिता केन्द्र (मेपकास्ट) म.प्र. भोपाल।
19. निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, म.प्र., भोपाल।
20. संचालक, सी.जी.डब्ल्यू.बी., ई-2/145, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।

(एन.बैजेन्द्र कुमार)

संचालक

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन  
मध्यप्रदेश शासन